

जनसुनवाई हेतु
पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट
की
कार्यकारिणी संक्षेप

प्रस्तावित चूनापत्थर खान
(क्षेत्र 582.962 हैक्टेयर)

उत्पादन क्षमता— 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष चूनापत्थर
और 22500 क्यूबिक मिटर (अधिकतम) अपशिष्ट/
ऊपरी मुदा के साथ 1000 टी.पी.एच. क्षमता के क्रशर की स्थापना

निकटतम

गाँव— बिदियादीह, बोहारदिह, भुरकुँडा, तथा गोदाधीह

तहसील— मसतुरी

जिला— बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

परियोजना प्रस्तावक

ACC

मैसर्स ए सी सी लिमिटेड

जामुल सीमेंट वर्क्स

दुर्ग छत्तीसगढ़— 4990024

ई—मेल : manoj.shrivastava@acclimated.com

टेलीफोन नं.: +6788-2285081-85

सारणी

क्र.सं.	विशेष	पेज नं.
1.0	परियोजना का विवरण	1
1.1	परियोजना आवेदक (प्रोपेनेट) का परिचय	1
1.2	परियोजना का प्रकार	1
1.3	परियोजना की आवश्यकता	1
1.4	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	1
1.5	लोकेशन मैप	3
1.6	खनन विवरण	4
1.6.1	खनन पट्टा स्थिति	4
1.6.2	खनन विवरण	4
1.6.3	खनन प्रक्रिया	4
2.0	पर्यावरण का विवरण	4
2.1	परिणामों की प्रस्तुति (वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा)	4
2.2	जैविक पर्यावरण	5
2.3	सामाजिक आर्थिक पर्यावरण	5
3.0	सम्भावित पर्यावरणीय प्रभाव एवं बचाव मापदण्ड	5
4.0	पश्च परियोजना विश्लेषण कार्यक्रम	6
5.0	अतिरिक्त अध्ययन	6
6.0	परियोजना के लाभ	6
7.0	पर्यावरण प्रबन्धन योजना	6
7.1	वायु गुणवत्ता प्रबंधन	6
7.2	जल गुणवत्ता प्रबंधन	7
7.3	ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन	7
7.4	ऊपरी मृदा प्रबंधन	7
7.5	ठोस अपशिष्ट उत्पादन व प्रबन्धन	7
7.6	कंसेप्चुअल स्तर पर भूउपयोग प्रबन्धन	7
7.7	हरित पट्टिका विकास एवं पौधारोपण कार्यक्रम	8



कार्यकारिणी संक्षेप

1.0 परियोजना विवरण

1.1 परियोजना आवेदक का परिचय

मैसर्स एसीसी लिमिटेड भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादकों में से एक है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है (एमटीपीए)।

एसीसी सीमेंट और कंक्रीट का भारत का अग्रणी निर्माता है। 17 आधुनिक सीमेंट कारखानों, 40 से अधिक रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों, 20 बिक्री कार्यालयों और कई जोनल कार्यालयों के साथ एसीसी के संचालन पूरे देश में फैले हुए हैं। इसमें लगभग 9,000 लोगों की कार्यक्षमता और 9,000 से अधिक डीलरों का देशव्यापी वितरण नेटवर्क है। विनिर्माण इकाइयां एक प्रौद्योगिकी सहायता सेवा केंद्र द्वारा समर्पित हैं।

1936 में अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी अपने उत्पादन, विपणन और कार्मिक प्रबंधन के संबंध में सीमेंट उद्योग के लिए एक ट्रैडसेटर और महत्वपूर्ण बैंचमार्क रही है। पर्यावरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, व्यापारिक व्यवहार में इसके उच्च नैतिक मानकों और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में इसके प्रयासों ने इसे एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सराहा है। एसीसी ने गुणवत्ता उत्पादों, सेवाओं और अपनी विशेषज्ञता को साझा करके राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1.2 परियोजना का प्रकार

मैसर्स एसीसी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के बिदियादिह, बोहरादिह, भुरकुण्डा और गोडादिह गांव में 3.9 मिलियन टी.पी.ए. लाईमस्टोन और अपशिष्ट/ऊपरी मृदा 225000 घनमीटर प्रतिवर्ष (अधिकतम) उत्पादन क्षमता के साथ, और 1000 टीपीएच क्रशर की स्थापना के साथ (क्षेत्र 582.962 हैक्टेयर) चूना पत्थर खदान का प्रस्ताव रखा है।

14 सितंबर, 2006 को ईआईए अधिसूचना के अनुसार, परियोजना या गतिविधि 1 (ए) (3) (खान हेतु) और 2 (बी) (3) (क्रशर के लिए) श्रेणी के अंतर्गत आती है।

1.3 परियोजना की आवश्यकता

- देश में सीमेंट की मांग विशेष रूप से पूर्वी राज्यों में, राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा नियोजित विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कारण 9–10 प्रतिशत (कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट सी ए जी आर) की दर से बढ़ रही है, और उद्योगों के तेजी से विकास के कारण यह मांग देश के लिए औसत से भी अधिक होने की संभावना है।
- मैसर्स एसीसी लिमिटेड ने 2.72 एमटीपीए का एक नया सीमेंट प्लांट (विलंकराइजेशन) लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसे ध्यान रखते हुए, प्लांट विलंकराइजेशन के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता, चिल्हाटी चूना पत्थर खदान से पूरी की जाएगी। एक नए सीमेंट प्लांट की स्थापना तक, बहुत कम मात्रा में चूना पत्थर (लगभग 10000 टन–15000 टन) छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित मैसर्स एसीसी लिमिटेड के जामुल सीमेंट वर्क्स को भेजा जा सकता है।

1.4 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

सारणी-1


परियोजना का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विशेष	विवरण
ए.	परियोजना की प्रकृति	प्रस्तावित चूना पत्थर खान
बी.	परियोजना का आकार	
1.	क्षेत्र	582.962 हैक्टेयर
2.	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	चूना पत्थर: 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट ऊपरी मृदा : 225000 घन मीटर प्रति वर्ष

क्र.सं.	विशेष	विवरण															
3.	क्रशर	1000 टी पी एच															
सी.	परियोजना स्थल																
1.	ग्राम	बिदियादि, बोहरादि, भुरकुण्डा और गोडादि															
2.	तहसील	मस्तुरी															
3.	जिला	बिलासपुर															
4.	राज्य	छत्तीसगढ़															
5.	निर्देशांक	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पिलर नं</th> <th>अक्षांश</th> <th>निर्देशांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पिलर नं 52</td><td>21°49'28.386"</td><td>उत्तर 82°20'58.0373" पूर्व</td></tr> <tr> <td>पिलर नं 128</td><td>21°49'21.7197"</td><td>उत्तर 82°19'19.6821" पूर्व</td></tr> <tr> <td>पिलर नं 207</td><td>21°49'0.9888"</td><td>उत्तर 82°20'6.132" पूर्व</td></tr> <tr> <td>पिलर नं 1238</td><td>21°49'29.3318"</td><td>उत्तर 82°21'7.9341" पूर्व</td></tr> </tbody> </table>	पिलर नं	अक्षांश	निर्देशांक	पिलर नं 52	21°49'28.386"	उत्तर 82°20'58.0373" पूर्व	पिलर नं 128	21°49'21.7197"	उत्तर 82°19'19.6821" पूर्व	पिलर नं 207	21°49'0.9888"	उत्तर 82°20'6.132" पूर्व	पिलर नं 1238	21°49'29.3318"	उत्तर 82°21'7.9341" पूर्व
पिलर नं	अक्षांश	निर्देशांक															
पिलर नं 52	21°49'28.386"	उत्तर 82°20'58.0373" पूर्व															
पिलर नं 128	21°49'21.7197"	उत्तर 82°19'19.6821" पूर्व															
पिलर नं 207	21°49'0.9888"	उत्तर 82°20'6.132" पूर्व															
पिलर नं 1238	21°49'29.3318"	उत्तर 82°21'7.9341" पूर्व															
6.	एस ओ आई. टोपोशीट नं.	कोर जोन 64 K/5 बफर जोन - 64 K/1, 64 K/2, 64 K/5 & 64 K/6															
द.	पर्यावरणीय स्थिति विवरण (खनन पट्टा सीमा से अनुमानित आकाशीय दूरी और दिशा के साथ)																
1.	निकटतम आवास	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम बोहरादि 350 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में ➤ ग्राम गोडादि पट्टा क्षेत्र के निकट दक्षिण दिशा में ➤ ग्राम भुरकुण्डा 80 मी उत्तर दिशा में ➤ ग्राम बिदियादि 370 मी उत्तर पूर्व दिशा में 															
2.	निकटतम राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग	एन एच (लगभग 9.8 कि.मी. उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में)															
3.	निकटतम रेलवे स्टेशन	बिलासपुर (लगभग 30.0 किलोमीटर दक्षिण –पश्चिम दिशा में)															
4.	निकटतम हवाई अड्डा	रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा (लगभग 91 कि.मी. दक्षिण – पश्चिम दिशा में)															
5.	परियोजना स्थल में 10 कि.मी. क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैविक भंडार वन्य जीव कॉरिडोर बाध/हाथी भंडार इत्यादि	खनन पट्टा क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, और वन्यजीव गलियारे आदि नहीं हैं।															
6.	परियोजना स्थल में 10 कि.मी. क्षेत्र में आरक्षित व सरक्षित वन	कोई नहीं															
7.	10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र में जलाशय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोई भी मौसमी नाला एम.एल. क्षेत्र नहीं है। ➤ पूर्व दिशा में बहते हुए दो मौसमी नाले, नाले के दोनों तरफ सुरक्षा आवरोधक को छोड़ते हुए खदान क्षेत्र को ब्लॉक में विभाजित करते हैं। ➤ एक प्रस्तावित नहर (निर्माणाधीन) एम.एल. क्षेत्र। ➤ कुरंग लेफट बैंक नहर (पश्चिम दिशा में निकटवर्ती) ➤ लीलागढ़ नदी (लगभग 0.25 कि.मी. पूर्व दिशा में) ➤ शियोनाथ नदी (लगभग 6.5 कि.मी. दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में) ➤ विभिन्न छोटे मौसमी गाँव के तालाब 10 किमी के दायरे में मौजूद हैं। 															
8.	भूकम्पीय क्षेत्र	क्षेत्र- II आई एस : 1893 (भाग-1): 2002 के अनुसार															
ई.	लागत विवरण																
1.	परियोजना लागत	125 करोड़ रुपये															
2.	ई.एम.पी. लागत	परियोजना लागत: 12.5 करोड़ रुपये आवर्ती लागत: 1.0 करोड़															

स्रोत: स्थल भ्रमण और प्री- किजिविलिटी रिपोर्ट

1.5 लोकेशन मैप



1.6 खनन विवरण

1.6.1 खनन पट्टा स्थिति

- मैसर्स एसीसी लिमिटेड को जल खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खनन पट्टा देने के संबंध में पत्र क्रमांक संख्या 3-86 /2007 /12 (1) दिनांक 10.08.2009 के तहत आदेश जारी किया गया।
- मैसर्स एसीसी लिमिटेड को पत्र क्रमांक संख्या 2047 /एमएल / 2009 दिनांक 21.10.2009 को 582.962 हैवटेयर क्षेत्र के लिये 30 वर्षों के लिये खनन पट्टे का निष्पादन किया गया।
- कलेक्टर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा खनन लीज अवधि को 30 से बढ़ाकर 50 वर्ष करने के संबंध में एक पत्र क्रमांक संख्या 1928 /एमएल /एसएन /2015 दिनांक 27.10.2015 को जारी किया गया।
- छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने बिलासपुर में 2014 के रिट पिटीशन (सी) संख्या 1090 के तहत रिट याचिका का निष्पादन किया है।

1.6.2 खनन विवरण

**सारणी-2
खनन विवरण**

क्र.सं.	विशेष	विवरण
1.	खनन प्रक्रिया	पूर्ण यंत्रीकृत ओपन कास्ट खनन
2.	कुल भूगमीय भण्डार	182.74 मिलियन टन
3.	कुल खनन योग्य भण्डार	145.11 मिलियन टन (सीमेट ग्रेड)
4.	प्रस्तावित खनन की आयु	40 वर्ष
5.	बैंच ऊर्ध्वांग	1.5 से 2 मीटर (ओ.बी. बैंच) 6 से 10 मीटर (ओर बैंच)
6.	कार्यशील बैंच की चौड़ाई	15 से 20 मीटर
7.	अन्तिम पिट ढलान	45 डिग्री
8.	एलिवेशन रेंज	235 से 260 मीटर ए.एम.एस. एल.
9.	सामान्य भू-स्तर	237 एम. आर. एल
10.	जल स्तर	4 मीटर से 7 मीटर बी.जी.एल.
11.	अन्तिम कार्यशील गहराई	220 एम. आर. एल.
12.	स्ट्रिपिंग अनुपात अपशिष्ट : खनिज	लगभग 0.1 क्यूबिक मीटर प्रति टन
13.	कार्य दिवसों की संख्या	300 दिन प्रति साल

स्त्रोत: अनुमोदित संशोधित खनन योजना और प्रोग्रेसिव खनन बंद योजना

1.6.3 खनन प्रक्रिया

खनन का तरीका पूरी तरह से यंत्रीकृत तरीकों से बैंचों के निर्माण के साथ ओपन कास्ट होगा। हाइड्रोलिक ब्रेकर द्वारा डीप होल ब्लास्टिंग और सेकेंडरी ब्रेकिंग के साथ ओपनकास्ट माइनिंग का मैकेनाइज्ड तरीका (यदि आवश्यक हो) अपनाया जाएगा। डंपर्स का उपयोग 1000 टीपीएच क्षमता के प्रस्तावित क्रशर को सामग्री के लदान और परिवहन के लिए किया जाएगा, जो पहुंच के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कुचल चूना पत्थर को कवर किए गए कन्वेयर बेल्ट द्वारा प्रस्तावित सीमेट संयंत्र को आपूर्ति की जाएगी। सीमेट संयंत्र की स्थापना तक, चूना पत्थर की छोटी मात्रा (लगभग 10000–15000 टन) सड़क द्वारा दुर्ग जिले, छत्तीसगढ़ में स्थित एसीसी लिमिटेड के जामुल संयंत्र को भेजी जा सकती है।

2.0 पर्यावरण विवरण

2.1 परिणामों की प्रस्तुति (वायुध्वनि, जल और मूदा)

अध्ययन क्षेत्र का आधारभूत अध्ययन ग्रीष्म क्रष्णु, मार्च – मई, 2018 में किया गया था

सभी 12 सैम्पत्तिंग स्थानों की वायु युणवत्ता जाँच दर्शाती है कि सभी 12 ए.ए.एम. स्थानों के लिये पी.एम. 10 तथा पी.एम. 2.5 की सान्द्रता 23.7 से 42.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तथा 53.8 से 87.6 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पायी गयी। सलफर डाइ

ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की सान्द्रता 6.2 से 14 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर व 11.8 से 22.2 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पायी गयी।

खान स्थल के चारों तरफ 12 स्थानों पर व्यापक ध्वनि स्तर को मापा गया है। ध्वनि स्तर दिन के समय 51.4 से 54.5 Leq dB (A) तथा रात के समय 40.9 से 44.3 Leq dB (A) पाया गया।

सभी 8 सैम्पलिंग स्थानों पर भू-जल के विश्लेषण दर्शाते हैं। कि पी.एच. 7.29 से 8.09, कुल कठोरता 117.30 से 535.50 मिलीग्राम/लीटर, कुल धुलित ठोस 231 से 618 मिलीग्राम/लीटर, विशिष्ट चालकता 279 से 942 मिलीग्राम/लीटर, क्लोराइड 26.13 से 308.77 मिलीग्राम/लीटर, सल्फेट 6.07 से 34.03 मिलीग्राम/लीटर तथा पलोराइड 0.40 से 0.85 मिलीग्राम/लीटर है।

मृदा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि मृदा की प्रकृति मामूली से थोड़ी क्षारीय है, जिसकी पी.एच. 7.02 से 7.78 व मृदा की बनावट मुख्यतया रेतीला लोम मिट्ट है। कार्बनिक पदार्थ की सान्द्रता 0.87 से 1.13 प्रतिशत है। नाइट्रोजन की सान्द्रता 198.65 से 348.17 किग्रा/हैवटेयर और फॉस्फोरस की मात्रा 12.36 से 32.14 किग्रा/हैवटेयर है जबकि पौटेशियम 205.14 से 391.49 किग्रा/हैवटेयर की रेंज में पाया गया है। ये परिणाम दर्शाते हैं कि क्षेत्र में औसत मिट्टी की गुणवत्ता है।

2.2 जैविक पर्यावरण

वनस्पति- अध्ययन क्षेत्र में साधारणतः पायी जाने वाली प्रजातियाँ कुछ इस प्रकार हैं: नीम, आम, महुआ, करंज, आवंला, जामुन, इमली, अमलताश, अशोका, बरगद इत्यादि।

जीव-जन्तु – अध्ययन क्षेत्र में साधारणतः पायी जाने वाली प्रजातियाँ कुछ इस प्रकार हैं: नीलगाय, मोगूस, छिपकली इत्यादि।

2.3 सामाजिक आर्थिक पर्यावरण

जनगणना रिकार्ड 2011 के अनुसार 10 कि.मी. त्रिज्या के बफर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 91402 है। अध्ययन क्षेत्र (10 कि.मी.) की आबादी का अनुसूचित जाति अंश 26100 (28.55 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति 12482 (13.65 प्रतिशत) है। साक्षरता का प्रतिशत 62.99 है और व्यवसाय में शामिल लोगों का प्रतिशत 48.53 है जिनमें मुख्य कार्यकर्ता 48.65 प्रतिशत और सीमांत श्रमिक 51.34 प्रतिशत हैं। शेष कुल आबादी का 51.47 प्रतिशत जनसंख्या गैर-श्रमिक है।

3.0 संमाधित पर्यावरणीय प्रभाव और बचाव मापदण्ड:-

➤ वायु पर्यावरण पर प्रभाव

खनन की क्रियाओं (ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, हॉलेज, क्रशिंग एवं परिवहन क्रियाओं) से उत्पन्न होने वाले मुख्य वायु उत्सर्जन पार्टीकुलेट पदार्थ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाई-ऑक्साइड हैं। गैसीय उत्सर्जन एच ई एम और वाहनों के परिवहन से उत्पन्न होगा। गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उचित मिटिगेशन उपायों का उपयोग जैसे नियंत्रित विस्फोटन, परिवहन गतिविधियों के दौरान जल छिड़काव व सड़क के दोनों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा।

➤ जल पर्यावरण पर प्रभाव:-

पूर्व दिशा में बहते हुए दो मौसमी नाले, नाले के दोनों तरफ सुरक्षा आवरोधक को छोड़ते हुए खदान क्षेत्र को ब्लॉक में विभाजित करते हैं। क्षेत्र के उस हिस्से को छोड़कर पट्टा प्रदान किया गया है। पट्टा क्षेत्र से बाहर अपशिष्ट जल का कोई निर्वाहन नहीं किया जाएगा इसलिए सतही जल पर प्रस्तावित खनन का कोई प्रभाव नहीं होगा। खनन से उत्पन्न होने वाले घरेलू अपशिष्ट जल को सेप्टिक टैंक द्वारा सोकपिट में निष्कासित किया जाएगा। सामान्य भू-स्तर 237 एम.आर.एल. है तथा जल तालिका स्तर 4 एम.बी.जी.एल. से 7 एम.बी.जी.एल. है। है। खनन क्रिया की अंतिम गहराई लगभग 210 एम.आर.एल. है भूजल तालिका को प्रतिच्छेदन नहीं किया जाएगा इसके अतिरिक्त खनिज चूना पत्थर और संबंधित चट्टानों में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं होता है।

➤ ध्वनि व कम्पन्न का प्रभाव:-

नॉनेल डिटोनेटर का उपयोग करके ब्लास्टिंग की जाएगी, जो कि एयर ब्लास्ट ग्राउंड वाइब्रेशन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगी और पलाई रॉक और भूमिगत कम्पन्न को नियंत्रित करने के लिये ब्लास्टिंग पैरामीटर विस्फोटक चार्ज का उपयोग किया जायेगा। द्वितीयक विस्फोटन नहीं किया जाएगा। ब्लास्टिंग के समय उत्पन्न ऑर साईज बोल्डर को तोड़ने के लिए रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली कंपन और ध्वनि की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

भूमि पर्यावरण पर प्रभाव:—

ओपनकास्ट खनन गतिविधियां खनन पट्टे क्षेत्र में परिदृश्य को बदल सकती हैं लेकिन आसपास के क्षेत्रों की सतह सुविधाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

४० कंसेचुअल स्तर पर, 360 हेक्टेयर के कुल उत्खनन क्षेत्र में से लगभग 54 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्भरण किया जाएगा और शेष क्षेत्र यानी 306 हेक्टेयर को जलाशय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

४१ खान के जीवन के अंत में कुल 127 हेक्टेयर (54 हेक्टेयर पुर्णभरण क्षेत्र पर, 43 हेक्टेयर पट्टा परिधि के चारोंतरफ तथा 30 हेक्टेयर गैर खनिज क्षेत्र पर) को हरित पट्टिका/पौधारोपण द्वारा घेरा जाएगा।

४.० पश्च परियोजना पर्यावरण विश्लेषण कार्यक्रम:—

सारणी ४ पश्च परियोजना विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	मॉनीटरिंग आवृत्ति
1.	व्यापक वायु गुणवत्ता	पार्श्विक
2.	जल गुणवत्ता व स्तर	त्रैमासिक
3.	ध्वनि सतर निरीक्षण	त्रैमासिक
4.	कम्पन सिरक्षण	हर विस्फोट पर

५.० अतिरिक्त अध्ययन

अतिरिक्त अध्ययन जैसे हाइड्रो-भूवैज्ञानिक अध्ययन और जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबन्धन योजना, भूमि उपयोग और भूमि कवर मूल्यांकन और, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पुनः स्थापन तथा पुनः वासन अध्ययन से पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन के पत्रं संख्या जे-11015/45/2018—आई.ए.11 रेफरेंस के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट में सम्मिलित है।

६.० परियोजना के लाभ

इस परियोजना के संचालन से बाजार में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। और इसलिए यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी। यह परियोजना स्थानिय क्षेत्र की बुनियादि जरूरतों के विकास में सहायक होगी जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला संशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, सड़क आदि। इसके परिणामस्वरूप इस परियोजना से क्षेत्र के आस-पास के लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बुनियादि ढांचे के विकास में वृद्धि होगी।

७.० पर्यावरण प्रबंधन परियोजना

७.१ वायु गुणवत्ता प्रबंधन

- ड्रिलिंग मशीनें नमड्रिलिंग व्यवस्था और बैग फिल्टर व्यवस्था से सुसज्जित होंगी।
- नियंत्रित ब्लास्टिंग को विस्फोटक ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के साथ अपनाया जाएगा जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा
- स्त्रोत पर धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए परि कार्य के दौशन खानों की सड़कों को लोडिंग से लेकर गंतव्य रथन तक नियमित पानी छिड़काव किया जाएगा।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खदान सीमा और अन्य स्थानों के आसपास हरित पट्टिका/पौधारोपण का विकास किया जाएगा।
- सभी कर्मचारियों को डस्ट मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- आवधिक वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण किया जाएगा।

७.२ जल गुणवत्ता प्रबन्धन:—

- खदान कार्यालय से बहुत कम मात्रा में उत्पन्न धरेलू अपशिष्ट जल को सेटिक टैंक के माध्यम से सोख गड़े में नियंत्रित किया जाएगा।
- चल रहे कार्यों के मौसमी आधार पर भूजल स्तर और गुणवत्त का मूल्यांकन खुले खोदे गए कुओं में किया जाएगा प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये।
- खनन और संबद्ध कार्यों के कारण कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि इसमें खनिज का कोई लाभकरण/प्रक्रियाकरण शामिल नहीं है।

7.3 ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन—

- डिलिंग शॉर्प डिल बिट्स का उपयोग करके की जाएगी।
- ग्राउंड कंपन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में संरचनाओं को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ब्लास्टिंग डीजीएमएस द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी।
- विस्फोटन डीजीएमएस के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- ग्राउंड वाइब्रेशन, ध्वनि और फलाई रॉक को नियंत्रित करने हेतु नॉनेल का उपयोग किया जायेगा।
- ब्लास्टिंग दिन के समय ही की जाएगी।
- नियमित अंतराल पर मशीनों का उचित रख-रखाव, आयलिंग और ग्रीसिंग ध्वनि को कम करने के लिए कि जाएगी।
- खदान की सीमा के बाहर ध्वनि के प्रसार को कम करने व नियंत्रित करने के लिए खनन पट्टे की सीमा के साथ पौधारोपण किया जाएगा।
- सभी खदान कर्मचारियों को इयरप्लग व ईयरमफस प्रदान किए जाएंगे।
- समय—समय पर ध्वनि की मॉनिटरिंग कि जायेगी।

7.4 ऊपरी मृदा प्रबंधन

ऊपरी मिटटी को अलग से हटाया जाएगा और पट्टे की सीमा के भीतर ठीक से ढेर किया जाएगा। जिसे खनन पट्टा क्षेत्र और डमप बन्ड पर पौधारोपण/हरित पट्टिका के विकास लिये उपयोग में लिया जायेगा।

7.5 ठोस अपशिष्ट उत्पादन व प्रबन्धन

- अपशिष्ट में ओवरबर्डन तथा ऊपरी मृदा शामिल है।
- प्रति वर्ष 225000 घनमीटर अपशिष्ट उत्पन्न होगा। ऑवर बर्डन/ इंटर बर्डन को हटा दिया जायेगा व खदान सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पट्टे की परिधि के साथ बंड बनाने हेतु स्टेकड किया जायेगा और खदान क्षेत्र के अन्दर डंप भी किया जाएगा। इन बंड पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
- 54 हेक्टेयर खुदाई वाले क्षेत्र में ऑवरबर्डन बैकफील्ड किया जायेगा खदान सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पट्टे की परिधि के साथ बंड बनाने हेतु स्टेकड किया जायेगा और खदान क्षेत्र के अन्दर डंप भी किया जाएगा। इन बंड पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

7.6 कंसेप्चुअल स्तर पर भूउपयोग प्रबन्धन

- कंसेप्चुअल स्तर पर, 360 हेक्टेयर के कुल उत्तराखन क्षेत्र में से लगभग 54 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्भरण किया जाएगा और शेष क्षेत्र यानी 306 हेक्टेयर को जलाशय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- खान के जीवन के अंत में कुल 127 हेक्टेयर (54 हेक्टेयर पुनर्भरण क्षेत्र पर, 43 हेक्टेयर पट्टा परिधि के चारोंतरफ तथा 30 हेक्टेयर गैर खनिज क्षेत्र पर) को हरित पट्टिका/पौधारोपण द्वारा घेरा जाएगा।
- वन विभाग के परामर्श से स्थानीय और देशी पौधों की प्रजातियों को लगाया जाएगा।
- लगभग 136.962 हेक्टेयर क्षेत्र अब्दित रहेगा।

7.7 हरित पट्टिका विकास और पौधारोपण कार्यक्रम।

प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (क्षेत्र-582.962 हेक्टेयर) 3.9 मिलियन टन टी पी ए चूनापत्थर और अपशिष्ट/ऊपरी मुदा 225000 घनमीटर प्रतिवर्ष (अधिकतम) तथा 1000 टी. पी. एच. क्रशर की स्थापना
ग्राम—बिदियादिह, बोहराडि, भुरकुण्डा और गोडादिह, तहसील—मस्तुरी, जिला विलासुप, छत्तीसगढ़

ज्ञापन हस्तांक/ इं.एम.पी. रिपोर्ट का कार्यकारिणी संकेत

- खान के जीवन के अंत में कुल 127 हेक्टेयर (54 हेक्टेयर पुर्नभरण क्षेत्र पर, 43 हेक्टेयर पट्टा परिधि के चारोंतरफ तथा 30 हेक्टेयर गैर खनिज क्षेत्र पर) को हरित पट्टिका/पौधारोपण द्वारा धेरा जाएगा।
- रथानीय प्रजातियों और फल देने वाली प्रजातियों को सीपीसीबी दिशानिर्दशों जैसे नीम, आंबला, आम, करंज, जामुन, इमली, अमलतास, अशोक, बरगद के अनुसार लगाया जाएगा।

